महत्वपूर्ण

संख्या–337/1–10–2015–33(34)/2015टी0सी0–2

प्रेषक,

लीना जौहरी
सचिव एवं पदेन राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 02 अगस्त, 2015

विषयः ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के पुर्नग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–219/1–10–2015–33(16)/2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा रू0 23,11,000 (रूपये तेइस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" में तथा शासनादेश संख्या–229/1–10–2015–33(34)/2015, दिनांक 10.04.2015 यथा संशोधित दिनांक 11.04.2015 द्वारा रू0 12,50,000 (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–04–दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता–42–अन्य व्यय" में जनपद सोनभद्र को आवंटित की गयी थी।

2– जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या–525/सी0आर0ए0–दैवी आपदा लिपिक/कृषि निवेश अनुदान/बजट/2015–16, दिनांक 22.05.2015 द्वारा व्यय के पश्चात्, लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" में रू0 10,61,000/– तथा लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य

व्यय–04–दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता–42–अन्य व्यय में रू0 12,50,000/– अर्थात् कुल रू0 23,11,000/– (रूपये तेइस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि समर्पित की गयी है।

3– अतः जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा समर्पित की गयी उक्त धनराशि को सम्बन्धित लेखाशीर्षकों में पुर्नग्रहित किये जाने का श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

26/8/15

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 337 (1)/1–10–2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
8. समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग 10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।